भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †654

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

पीएम जनमन का कार्यान्वयन

†654 श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री शफी परम्बिल:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ग) कल्याण योजनाओं तक पहुंच बनाने में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समक्ष आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा उन पीवीटीजी को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनके पास आधार अथवा मनरेगा जॉब कार्ड नहीं हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों को कवर करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी लाभार्थियों/पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के उद्देश्य से पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों (गैप्स) का अनुमान लगाने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बस्ती स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू

किया है। कवर किए जाने वाले पीवीटीजी लाभार्थियों (राज्य-वार) की सटीक संख्या मिशन के तहत संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है। प्राप्त आंकड़ों (20.07.2024 तक) के आधार पर, राज्य-वार पीवीटीजी की संख्या **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध की गई है।

(ख): पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 8768 करोड़ रुपये)। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी करना मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) आदि के अनुपालन के अधीन है।

(ग): प्रधानमंत्री जनमन योजना को 3 वर्षों में पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और सतत आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। पीएम जनमन 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण उपायों पर केंद्रित है।

(घ): राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना था, जो पीएमकिसान, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, इन बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है।

अनुलग्नक - I

"पीएम जनमन का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, श्री शफी परम्बिल, डॉ. मोहम्मद जावेद तथा श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. †654 के उत्तर के लिए भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / विभाग द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान (20.07.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य*	पीवीटीजी जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	483408
2	छत्तीसगढ़	233450
3	गुजरात	153516
4	झारखंड	377225
5	कर्नाटक	57047
6	केरल	29511
7	मध्य प्रदेश	1209630
8	महाराष्ट्र	623100
9	ओडिशा	300436
10	राजस्थान	128456
11	तमिलनाडु	381699
12	तेलंगाना	63194
13	त्रिपुरा	272067
14	उत्तर प्रदेश	3527
15	उत्तराखंड	92233
16	पश्चिम बंगाल	62315
17	अंडमान और निकोबार	191
कुल जनसंख्या		**4471005**

*बिहार और मणिपुर राज्य ने अभी तक आंकड़े साझा नहीं किए हैं।

*****